सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में
प्रथम अपीलीय अधिकारी दिलीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

अपील प्रकरण क्रमांक – 07/2016

श्रीमती दिव्या जायसवाल

जिला समन्वयक, कानूनी मार्गदर्शन केन्द्र, न्यायिका महामाया विहार गली नं. 3 वेयर हाउस रोड, बिलासपुर छ0ग0 ....अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री अभिषेक त्रिपाठी जन सूचना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग)

जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ....रिस्पाडेंट

–आदेश–

(पारित दिनांक 30–08–2015)

- श्रीमती दिव्या जायसवाल वेयर हाउस रोड, बिलासपुर छ0ग0 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्रेषित प्रथम अपील पोस्ट आफिस के माध्यम से दिनांक 19–08–2016 को प्राप्त हुआ।
- अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील के साथ 50.00 रू0 का पोस्टल आर्डर क्रमांक 78 जी 838716, जन सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र की छाया प्रति, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर से जारी पत्र क्रमांक 2991/दिनांक 12–07–2016 की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।
- अपीलार्थी ने अपील में लेख किया है कि उनके द्वारा दिनांक 08–04–2016 को संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् आवेदन लगाया था। जिसमें राज्य के समस्त जिलों के महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ संरक्षण अधिकारियों से संबंधित जानकारी मांगी गयी थी। केवल 15 जिलों की जानकारी ही प्राप्त हुई। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में दिनांक 05–07–2016 को प्रथम अपील करने पर जवाब प्राप्त हुआ कि जिन जिलों से जानकारी अप्राप्त है वहां के कलेक्टर/अपर कलेक्टर को ही प्रथम अपील प्रस्तुत किया जावे क्योंकि उन्हें ही प्रथम अपीलीय अधिकारी घोषित किया गया है।
- प्रथम अपील प्रकरण दर्ज कर महिला एवं बाल विकास विभाग के जन सूचना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी दन्तेवाड़ा को सूचना पत्र कमांक/3603/दिनांक 23–08–2015 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रतियां, जवाब प्रस्तुत करने प्रेषित किया गया।
- प्रकरण की प्रथम सुनवाई तिथि दिनांक 30–08–2016 को श्री अभिषेक त्रिपाठी जन सूचना अधिकारी/जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दंतेवाड़ा उपस्थित हुए। उनकी ओर से पक्ष समर्थन में पत्र कमांक 1024/म0बा0वि0/दिनांक 30–08–2016 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें यह बताया गया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उन्हें संचालनालय से अंतरण में प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र कमांक/170/दिनांक 22–04–2016 के द्वारा सूचित किया गया था कि जानकारी प्राप्त करने के लिए 2.00 रू0 जमा किया जावे किन्तु निर्धारित राशि जमा नहीं करने के कारण उन्हें जानकारी प्रदाय नहीं की गई। जवाब के साथ जन सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी की दो प्रतियां भी संलग्न कर प्रस्तुत की गई।
- जन सूचना अधिकारी ने मौखिक रूप से बताया कि अपीलार्थी को 2.00 रू0 जमा करने हेतु साधारण डाक के माध्यम से सूचना भेजी गई थी। उनके द्वारा स्मरण पत्र नहीं भेजा गया था। प्रतिलिपि की राशि प्रदाय नहीं करने की स्थिति में जानकारी नहीं भेजा गया था।

- प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों, जन सूचना अधिकारी के जवाब व मौखिक तर्क सुनने के उपरांत मैं यह पाता हूं कि जानकारी प्रदाय नहीं करने की उनकी मंशा नहीं थी अपितु प्रतिलिपि शुल्क की राशि 2.00 रू0 अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं करने के कारण ही जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया था। चूंकि जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को स्मरण पत्र नहीं भेजा गया और जो पत्र भेजा भी गया था वह साधारण डाक से भेजा गया था। अतः जनसूचना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दंतेवाड़ा को निर्देशित करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी एक सप्ताह के अंदर उन्हें निःशुल्क प्रेषित करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

30/8/2016

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा

पृ0क0/3729/सू0अ0/अपील/2016 — दन्तेवाड़ा दिनांक 01–09–2016

प्रतिलिपि :–

1– जिला कार्यक्रम अधिकारी/जन सूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

2– श्रीमती दिव्या जायसवाल जिला समन्वयक, कानूनी मार्गदर्शन केन्द्र, न्यायिका महामाया विहार गली नं. 3 वेयर हाउस रोड, बिलासपुर छ0ग0की ओर सूचनार्थ प्रेषित। जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्रति संलग्न है। इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो निम्नलिखित पते पर, 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील कर सकते हैं।

3– डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 केन्द्र जिला कार्यालय दंतेवाड़ा की ओर वेब साईट में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पता:–

मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड शंकर नगर रायपुर (छ0ग0)

30/8/2016

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा